भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3183

दिनांक 13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अस्पतालों का उन्नयन

3183. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों, क्षेत्रीय स्तर के अस्पतालों, राज्य स्तर के अस्पतालों को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए आवश्यक सुविधाओं के साथ उन्नत करने के लिए कोई ठोस राष्ट्रीय स्तर की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केंद्र सरकार ने चिकित्सा बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक सहायता/सहायता प्रदान की है, यदि हां, तो प्रदान की गई सहायता की प्रकृति सहित ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): देश की स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के तीन स्तंभों के रूप में उप स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी और ग्रामीण) तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी और ग्रामीण) के साथ त्रि-स्तरीय प्रणाली शामिल है।

स्थापित मानदण्डों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 (मैदानी क्षेत्रों में) और 3000 (पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में) की आबादी पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र; 30,000 (मैदानी क्षेत्रों में) और 20,000 (पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में) की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 1,20,000 (मैदानी क्षेत्रों में) और 80,000 (पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में) की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा, जिला अस्पताल (डीएच), उप-जिला अस्पताल (एसडीएच) और प्रथम रेफरल इकाइयां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मध्यम परिचर्या सेवाएं प्रदान करती हैं।

जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं। तथापि, सरकार ने भारत में स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान की है। योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम):** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करती है। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य अवसंरचना सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एसपीआईपी अनुमोदन का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

- **पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम):** यह देश भर में किसी भी भावी महामारी और प्रकोप का प्रभावी प्रबंधन और अनुक्रिया करने के लिए स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक है। इस योजना की अवधि 5 वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 है। । योजना के सीएसएस घटकों के तहत, योजना अवधि (2021-2026) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित पांच कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है:

  - ➢ भवन रहित 17,788 उपकेन्द्रों का आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों, जिन्हें अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) के नाम से जाना जाता है, के रूप में निर्माण
  - ➢ मलिन बस्ती और मलिन बस्ती जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शहरी क्षेत्रों में अब एएएम के रूप में अभिज्ञात 11,024 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की स्थापना,
  - ➢ ब्लॉक स्तर पर 3382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू) की स्थापना,
  - ➢ देश में 730 जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) की स्थापना, जिसमें प्रत्येक जिले में ऐसी एक प्रयोगशाला होगी।
  - ➢ 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में 602 क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉकों (सीसीबी) की स्थापना।

इससे संबंधित ब्यौरा **अनुलग्नक-II में** संलग्न हैं।

- **भारत कोविड-19 आपात अनुक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज II (ईसीआरपी-II):** मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, 08 जुलाई 2021 को 23,123 करोड़ रुपये की राशि से "भारत कोविड-19 आपात अनुक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज II" (ईसीआरपी-II) योजना भी अनुमोदित की है। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 की शीघ्र रोकथाम, पहचान और प्रबंधन हेतु तत्काल अनुक्रिया करने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों में तेजी लाना है, जिसमें बाल चिकित्सा परिचर्या और आकलनीय परिणामों सहित स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान बिस्तरों की उपलब्धता संबंधी समस्या का निराकरण करने

के लिए ईसीआरपी-II के तहत, मेडिकल कॉलेजों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित मंजूरी दी गई थी। इसका विवरण निम्नानुसार है:

- 9,873 पीडियाट्रिक आईसीयू बेड; 7,008 पीडियाट्रिक हाई डिपेंडेंसी यूनिट (एचडीयू) बेड; मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और सब-डिवीजनल अस्पतालों में वयस्कों हेतु 20,953 आईसीयू बेड सहित कुल 37,834 आईसीयू बेड।
- मौजूदा सीएचसी, पीएचसी और उप स्वास्थ्य केंद्रों (6-20 बिस्तर वाली इकाइयों) में अतिरिक्त 124,859 बेड; 19,337 ऑक्सीजन स्पोर्टिड पीडियाट्रिक बेड; 20,102 बिस्तर वाले फील्ड अस्पताल (50-100 बिस्तर वाली इकाइयां)।
- पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 26 क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) (50 बिस्तर वाले)।

- **15वां वित्त आयोग (एफसी-XV):** पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) में स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिये स्थानीय सरकारों के माध्यम से 70,051 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है और इसे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए ये अनुदान वित्त वर्ष 2021-2022 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए होंगे और बुनियादी स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की सुविधा प्रदान करेंगे।

- **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई):** इसका उद्देश्य किफायती विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा संबंधी सुविधाओं को बढ़ाना है। इस योजना के दो घटक हैं, अर्थात् (i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) की स्थापना; और (ii) मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (जीएमसीआई) का स्तरोन्नयन। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न चरणों में अब तक 22 नए एम्स की स्थापना और जीएमसीआई के स्तरोन्नयन की 75 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। पीएमएसएसवाई के अंतर्गत अनुमोदित नए एम्स का ब्यौरा **अनुलग्लक-III में** है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों के अंतर्गत स्तरोन्नयन परियोजनाओं की स्थिति का विस्तृत **अनुलग्नक IV में** है।

- मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत देश में कुल **157 मेडिकल कॉलेज** अनुमोदित किए गए हैं। मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत अनुमोदित मेडिकल कॉलेजों का ब्यौरा **अनुलग्नक-V** में संलग्न है।

अनुलग्नक- I

वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य अवसंरचना सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एसपीआईपी अनुमोदन

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2021-22	2022-23	2023-24
		एसपीआईपी अनुमोदन	एसपीआईपी अनुमोदन	एसपीआईपी अनुमोदन
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	159.00	2.00	5.00
2	आंध्र प्रदेश	2,583.25	633.06	875.72
3	अरुणाचल प्रदेश	5,674.45	4,737.52	2,069.80
4	असम	23,425.82	35,925.05	10,500.34
5	बिहार	37,842.57	99,387.56	52,900.70
6	चंडीगढ़	-	-	-
7	छत्तीसगढ़	15,047.86	7,789.77	7,789.77
8	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	2.88	2.88	2.88
9	दिल्ली	681.80	1,399.96	1,399.96
10	गोवा	125.95	260.26	225.34
11	गुजरात	878.22	5,028.85	353.08
12	हरियाणा	12,804.52	8,555.93	335.90
13	हिमाचल प्रदेश	3,547.39	-	600.00
14	जम्मू और कश्मीर	3,433.33	1,599.96	3,375.46
15	झारखंड	2,494.78	9,373.36	8,850.36
16	कर्नाटक	15,324.05	7,613.96	4,789.20
17	केरल	5,897.00	12,709.03	18,104.34
18	लक्षद्वीप	-	-	-
19	मध्य प्रदेश	25,482.92	19,866.87	42,679.70
20	महाराष्ट्र	55,881.84	61,535.48	60,134.13
21	मणिपुर	2,999.42	1,796.82	16.41

22	मेघालय	1,656.32	1,096.27	69.49
23	मिजोरम	35.40	36.75	33.79
24	नागालैंड	1,074.84	3,073.78	2,132.23
25	ओडिशा	32,846.14	62,574.68	48,034.45
26	पुदुचेरी	26.16	6.36	6.48
27	पंजाब	5,201.90	990.10	190.60
28	राजस्थान	85,616.83	57,577.61	57,736.11
29	सिक्किम	391.84	52.51	64.37
30	तमिलनाडु	26,196.13	56,033.70	79,790.36
31	तेलंगाना	7,640.83	11,534.19	41,042.91
32	त्रिपुरा	4,998.54	5,149.70	4,518.05
33	उत्तर प्रदेश	1,24,665.62	42,730.00	1,71,102.14
34	उत्तराखंड	13,588.14	10,604.54	1,238.88
35	पश्चिम बंगाल	7,984.58	11,212.94	3,005.22
36	लद्दाख	3,125.00	2,691.15	2,334.65
कुल		**5,29,335.32**	**5,43,582.60**	**6,26,307.82**

नोट:

उपर्युक्त आंकडे़ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित एफएमआर के अनुसार हैं और अनंतिम हैं।

अनुलग्नक –II

चार वर्षों (यानी वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25) के लिए राज्यवार अनुमोदन

1. भवनरहित-एएएम (उप-केंद्र - स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृतियां वित्तीय वर्ष 2021-25 (4 वर्ष)		
		योजना अवधि (वित्त वर्ष 2021-26) के लिए लक्ष्य	4 वर्ष के लिए अनुमोदित कुल इकाइयां	अनुमोदित कुल राशि (करोड़ रु में)
1	आंध्र प्रदेश	-	1786	535.80
2	असम	720	768	399.59
3	बिहार	2546	2546	1413.04
4	झारखंड	893	893	495.61
5	मणिपुर	64	64	35.52
6	मेघालय	151	151	83.8
7	ओडिशा	502	604	278.14
8	राजस्थान	821	1112	455.65
9	उत्तर प्रदेश	1670	1670	926.86
	कुल	**7367**	**9594**	**4624.01**

2. शहरी- एएएम(यू-एचडब्ल्यूसी)

वित्तीय वर्ष 2021-25 (4 वर्ष) के दौरान अनुमोदन				
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजना अवधि (वित्त वर्ष 2021-26) के लिए लक्ष्य	4 वर्ष के लिए अनुमोदित कुल इकाइयां	अनुमोदित कुल राशि (करोड़ रु में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4	4	3.00
2	आंध्र प्रदेश	45	45	70.25
3	असम	9	0	0.00
4	चंडीगढ़	92	19	29.93
5	दमन और दीव	4	3	4.50
6	दिल्ली*	1139	0	0.00

7	गुजरात	275	82	44.00
8	हिमाचल प्रदेश	38	26	39.00
9	जम्मू और कश्मीर	104	69	97.76
10	कर्नाटक	736	817	512.05
11	मणिपुर	3	0	0.00
12	मिजोरम	1	0	0.00
13	ओडिशा	47	140	32.20
14	पुडुचेरी	32	21	34.50
15	राजस्थान	639	371	455.86
16	तमिलनाडु	436	500	93.00
17	तेलंगाना	324	500	257.00
18	उत्तर प्रदेश	674	250	187.50
19	पश्चिम बंगाल	510	204	153.00
कुल		**5112**	**3051**	**2013.55**

* दिल्ली ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

3. ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयां (बीपीएचयू)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृतियां वित्तीय वर्ष 2021-25 (4 वर्ष)		
		योजना अवधि (वित्त वर्ष 2021-26) के लिए लक्ष्य	4 वर्ष के लिए अनुमोदित कुल इकाइयां	अनुमोदित कुल राशि (करोड़ रु में)
1	असम	207	142	129.66
2	बिहार	333	59	47.77
3	छत्तीसगढ़	91	54	53.79
4	हिमाचल प्रदेश	73	50	51.56
5	जम्मू और कश्मीर	287	200	213.89
6	झारखंड	165	100	99.50
7	मध्य प्रदेश	196	119	106.91
8	ओडिशा	197	119	118.44
9	राजस्थान	184	111	107.29
10	उत्तर प्रदेश	515	311	318.77
11	उत्तराखंड	86	59	52.60
	कुल	**2334**	**1324**	**1300.18**

4. एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं (आईपीएचएल)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृतियां वित्तीय वर्ष 2021-25 (4 वर्ष)		
		योजना अवधि (वित्त वर्ष 2021-26) के लिए लक्ष्य	4 वर्ष के लिए अनुमोदित कुल इकाइयां	अनुमोदित कुल राशि (करोड़ रु में)
1	अंडमान और निकाबार द्वीप समूह	3	3	3.75
2	आंध्र प्रदेश	13	23	37.57
3	अरुणाचल प्रदेश	22	14	26.33
4	असम	33	24	36.37
5	बिहार	38	12	15.00
6	चंडीगढ़	1	0	0.00
7	छत्तीसगढ़	28	21	39.49
8	डीएनएच और डीडी	3	0	0.00
9	दिल्ली	11	0	0.00
10	गोवा	2	0	0.00
11	गुजरात	33	24	44.70
12	हरियाणा	22	14	26.32
13	हिमाचल प्रदेश	12	7	12.67
14	जम्मू और कश्मीर	20	14	26.33
15	झारखंड	24	17	30.57
16	कर्नाटक	30	21	39.49
17	केरल	14	10	18.38
18	लद्दाख	2	2	2.50
19	लक्षद्वीप	1	1	1.25
20	मध्य प्रदेश	55	39	60.03
21	महाराष्ट्र	36	25	45.48
22	मणिपुर	15	11	21.11
23	मेघालय	10	7	13.16
24	मिजोरम	10	7	13.16
25	नागालैंड	11	7	13.16

26	ओडिशा	30	21	39.20
27	पुडुचेरी	4	3	5.22
28	पंजाब	22	14	26.33
29	राजस्थान	33	24	42.98
30	सिक्किम	3	3	5.22
31	तमिलनाडु	38	28	52.66
32	तेलंगाना	33	24	44.72
33	त्रिपुरा	7	4	6.94
34	उत्तर प्रदेश	75	53	103.76
35	उत्तराखंड	13	10	13.48
36	पश्चिम बंगाल	23	17	31.54
	कुल	**730**	**504**	**898.86**

5. क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक (सीसीबी)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृतियां वित्तीय वर्ष 2021-25 (4 वर्ष)		
		योजना अवधि (वित्त वर्ष 2021-26) के लिए लक्ष्य	4 वर्ष के लिए अनुमोदित कुल इकाइयां	अनुमोदित कुल राशि (करोड़ रु में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	23.75
2	आंध्र प्रदेश	13	16	380.00
3	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0.00
4	असम	27	17	412.93
5	बिहार	38	12	401.30
6	चंडीगढ़	-	1	23.75
7	छत्तीसगढ़	23	15	425.10
8	डीएनएच और डीडी	1	0	0.00
9	दिल्ली	9	0	0.00
10	गोवा	2	0	0.00
11	गुजरात	32	22	704.01
12	हरियाणा	22	15	425.10
13	हिमाचल प्रदेश	8	4	95.00

14	जम्मू और कश्मीर	9	4	95.00
15	झारखंड	22	15	427.51
16	कर्नाटक	30	21	617.16
17	केरल	14	10	251.27
18	लद्दाख	-	-	-
19	लक्षद्वीप	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	50	35	900.13
21	महाराष्ट्र	36	24	635.85
22	मणिपुर	2	0	0.00
23	मेघालय	2	0	0.00
24	मिजोरम	1	1	23.75
25	नागालैंड	1	0	0.00
26	ओडिशा	28	21	581.40
27	पुडुचेरी	3	0	0.00
28	पंजाब	21	17	508.49
29	राजस्थान	33	24	680.99
30	सिक्किम	1	1	23.75
31	तमिलनाडु	37	28	856.52
32	तेलंगाना	31	21	581.40
33	त्रिपुरा	1	0	0.00
34	उत्तर प्रदेश	74	49	1915.35
35	उत्तराखंड	7	4	95.00
36	पश्चिम बंगाल	22	17	530.19
	कुल	**602**	**395**	**11614.71**

अनुलग्नक- III

पीएमएसएसवाई के तहत अनुमोदित 22 नए एम्स का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एम्स का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	एम्स, मंगलगिरी
2.	असम	एम्स, गुवाहाटी
3.	बिहार	एम्स, पटना
4.		एम्स, दरभंगा
5.	छत्तीसगढ़	एम्स, रायपुर
6.	गुजरात	एम्स, राजकोट
7.	हरियाणा	एम्स, रेवाड़ी
8.	हिमाचल प्रदेश	एम्स, बिलासपुर
9.	जम्मू और कश्मीर	एम्स, जम्मू
10.		एम्स, कश्मीर
11.	झारखंड	एम्स, देवघर
12.	मध्य प्रदेश	एम्स, भोपाल
13.	महाराष्ट्र	एम्स, नागपुर
14.	ओडिशा	एम्स, भुवनेश्वर
15.	पंजाब	एम्स, बठिंडा
16.	राजस्थान	एम्स, जोधपुर
17.	तमिलनाडु	एम्स, मदुरै
18.	तेलंगाना	एम्स, बीबीनगर
19.	उत्तर प्रदेश	एम्स, रायबरेली
20.		एम्स, गोरखपुर
21.	उत्तराखंड	एम्स, ऋषिकेश
22.	पश्चिम बंगाल	एम्स, कल्याणी

अनुलग्नक- IV

सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों के तहत स्तरोन्नयन परियोजनाओं की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	सं.	जीएमसी/संस्थान का नाम	अनुमोदित अवसरंचना
1	आंध्र प्रदेश	1	श्री वेंकटेश्वर आयुर्विज्ञान संस्थान , तिरुपति	उपकरणों की खरीद
		2	सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, विजयवाड़ा	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		3	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अनंतपुर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
2	असम	4	गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		5	असम मेडिकल कॉलेज, डिब्रूगढ़	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
3	बिहार	6	श्रीकृष्णा मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		7	दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, दरभंगा	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		8	पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पटना	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		9	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, भागलपुर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		10	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गया	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		11	आईजीआईएमएस, पटना	क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान
4	छत्तीसगढ़	12	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		13	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जगदलपुर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
5	दिल्ली	14	यूसीएमएस-जीटीबी अस्पताल	-
6	गोवा	15	गोवा मेडिकल कॉलेज, पणजी	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
7	गुजरात	16	बीजे मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद	चिकित्सा उपकरणों की खरीद साधन

क्र.सं.	राज्य	सं.	जीएमसी/संस्थान का नाम	अनुमोदित अवसरंचना
		17	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, राजकोट	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		18	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सूरत	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		19	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, भावनगर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
8	हरियाणा	20	पंडित बीडी शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक	सर्विस ब्लॉक और ओटी कॉम्पलैक्स
9	हिमाचल प्रदेश प्रदेश	21	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, टांडा	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		22	इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, शिमला	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
10	जम्मू & कश्मीर	23	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		24	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर	आघात विज्ञान संस्थान
11	झारखंड	25	राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची	सुपर स्पशियलिटी ब्लॉक और ऑन्कोलॉजी ब्लॉक
		26	पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
12	कर्नाटक	27	बैंगलोर मेडिकल कॉलेज, बैंगलोर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		28	विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बेल्लारी	ट्रामा केयर ब्लॉक
		29	कर्नाटक आयुर्विज्ञान संस्थान, हुबली	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
13	केरल	30	मेडिकल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		31	कोझिकोड मेडिकल कॉलेज	ट्रामा केयर सेंटर के साथ सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		32	टीडी मेडिकल कॉलेज, अलप्पुझा	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		33	एससीटीआईएमएसटी, त्रिवेंद्रम	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
14	मध्य प्रदेश	34	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, रीवा	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		35	नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक

क्र.सं.	राज्य	सं.	जीएमसी/संस्थान का नाम	अनुमोदित अवसरंचना
		36	जीआर मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		37	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इंदौर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
15	महाराष्ट्र	38	ग्रांट मेडिकल कॉलेज और सर जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, मुंबई	चिकित्सा उपकरणों की खरीद
		39	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नागपुर	चिकित्सा उपकरणों की खरीद साधन
		40	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		41	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, लातूर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		42	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अकोला	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		43	श्री वसंतराव नाइक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यवतमाल	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
16	ओडिशा	44	एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज, बेरहामपुर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		45	वीएसएस मेडिकल कॉलेज, बुर्ला	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		46	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कटक	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
17	पंजाब	47	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अमृतसर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		48	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, पटियाला	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
18	राजस्थान	49	एसपी मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		50	आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		51	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कोटा	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		52	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जयपुर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
19	तमिलनाडु	53	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सलेम	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक और ट्रामा सेंटर
		54	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मदुरै	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		55	तंजावुर मेडिकल कॉलेज, तंजावुर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		56	तिरुनेलवेली मेडिकल कॉलेज, तिरुनेलवेली	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
20	तेलंगाना	57	निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक और ट्रामा सेंटर
		58	राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आदिलाबाद	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		59	काकतीय मेडिकल कॉलेज, वारंगल	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
21	त्रिपुरा	60	अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अगरतला	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
22	उत्तर	61	एसजीपीजीआईएमएस, लखनऊ	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक

क्र.सं.	राज्य	सं.	जीएमसी/संस्थान का नाम	अनुमोदित अवसरंचना
	प्रदेश			
		62	ट्रॉमा सेंटर (टीसी), आईएमएस, बीएचयू, वाराणसी	ट्रॉमा सेंटर और नर्सिंग कॉलेज
		63	जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू), अलीगढ़	ट्रामा केयर सेंटर और ओबीजी ब्लॉक
		64	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, झांसी	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		65	बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		66	एमएलएन मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		67	एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज, मेरठ	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		68	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, आगरा	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		69	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कानपुर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		70	आयुर्विज्ञान संस्थान (आईएमएस), बीएचयू, वाराणसी में एसएसबी	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		71	रियो, आईएमएस, बीएचयू, वाराणसी	क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान (आरआईओ)
23	पश्चिम बंगाल	72	कोलकाता मेडिकल कॉलेज, कोलकाता	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		73	बीएस मेडिकल कॉलेज, बांकुड़ा	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		74	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मालदा	ट्रामा केयर सेंटर और आपात चिकित्सा ब्लॉक
		75	उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज, दार्जिलिंग	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक

अनुलग्नक-V

मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत अनुमोदित मेडिकल कॉलेजों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	मेडिकल कॉलेजों की संख्या	मेडिकल कॉलेज की अवस्थिति
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	पोर्ट ब्लेयर
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	नाहरलागुन
3.	असम	5	धुबरी; नागांव; उत्तर लखीमपुर; दिफू और कोकराझार
4.	आंध्र प्रदेश	3	पिदुगुरल्ला; पडेरू और मछलीपत्तनम
5.	बिहार	8	पूर्णिया; सरन (छपरा); समस्तीपुर; सीतामढ़ी; झंझारपुर; सिवान; बक्सर और जमुई
6.	छत्तीसगढ़	5	राजनांदगांव; सरगुजा; कोरबा; महासमुंद और कांकेर
7.	गुजरात	5	नर्मदा; नवसारी; पंचमहल; पोरबंदर और मोरबी
8.	हिमाचल प्रदेश	3	चंबा; हमीरपुर और नाहन (सिरमौर)
9.	हरियाणा	1	भिवानी
10.	झारखंड	5	दुमका; हजारीबाग; पलामू (डाल्टनगंज); कोडरमा और चाईबासा (सिंहभूम)
11.	जम्मू और कश्मीर	7	अनंतनाग; बारामूला; राजौरी; डोडा; कठुआ; ऊधमपुर और हंदवाड़ा (जिला उधमपुर) कुपवाड़ा)
12.	कर्नाटक	4	चिक्कमगलुरु; हावेरी; यादगिरी और क्काबल्लापुरा
13.	लद्दाख	1	लेह
14.	मध्य प्रदेश	14	दतिया; खंडवा; रतलाम; शहडोल; विदिशा; छिंदवाड़ा; शिवपुरी; सतना; राजगढ़; मंडला; नीमच; मंदसौर; श्योपुर और सिंगरौली
15.	महाराष्ट्र	2	गोंदिया और नंदुरबार
16.	मणिपुर	1	चुराचांदपुर

क्र.सं.	राज्य का नाम	मेडिकल कॉलेजों की संख्या	मेडिकल कॉलेज की अवस्थिति
17.	मेघालय	1	वेस्ट गारो हिल्स (तुरा)
18.	मिजोरम	1	फल्कावन
19.	नागालैंड	2	नागा अस्पताल और मोन
20.	ओडिशा	7	बालासोर; बारीपदा (मयूरभंज); बोलनगीर; कोरापुट; पूरी; जाजपुर और कालाहांडी
21.	पंजाब	3	एसएएस नगर; कपूरथला और होशियारपुर
22.	राजस्थान	23	बाड़मेर; भरतपुर; भीलवाड़ा; चुरू; डूंगरपुर; पाली; सीकर; धौलपुर; अलवर; बारन; बांसवाड़ा; चित्तौड़गढ़; जैसलमेर; करौली; नागौर; श्रीगंगानगर; सिरोही; बूंदी; सवाई माधोपुर; टोंक; हनुमानगढ़; झुंझुनू और दौसा
23.	सिक्किम	1	गंगटोक
24.	तमिलनाडु	11	तिरुप्पुर; नीलगिरी; रामनाथपुरम; नमक्कल; डिंडीगुल; विरुधुनगर; कृष्णागिरी; तिरुवल्लूर; नागपत्तिनम; अरियालुर और कल्लाकुरिची
25.	उत्तर प्रदेश	27	बस्ती; फैजाबाद; फिरोजाबाद; शाहजहाँपुर; बहराइच; एटा; हरदोई; प्रतापगढ़; फतेहपुर; सिद्धार्थनगर (डुमरियागंज); देवरिया; गाजीपुर; मिर्जापुर; बिजनौर; कुशीनगर; सुल्तानपुर; गोंडा; ललितपुर; लखीमपुर खीरी; चंदौली; बुलंदशहर; सोनभद्र; पीलीभीत; औरैया; कानपुर देहात; कौशांबी और अमेठी
26.	उत्तराखंड	4	अल्मोड़ा; जिला रूद्रपुर, उधम सिंह नगर; पिथौरागढ़ और हरिद्वार
27.	पश्चिम बंगाल	11	बीरभूम (रामपुर हाट); कूच बिहार; डायमंड बंदरगाह; पुरुलिया; रायगंज, उत्तर दिनाजपुर; बारासात; उलुबेरिया; आरामबाग; झारग्राम; तामलुक और जलपाईगुड़ी
कुल		157	

*****